मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1013/ R-1436/21/55-2 / / /2021 भोपाल,दिनॉक 09.11.2021

प्रति,

1 आयुक्त एवं अध्यक्ष
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर

2 अधिष्ठाता,
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर,
विदिशा, शहडोल, रतलाम, दतिया, खण्डवा, शिवपुरी,छिंदवाड़ा

विषयः–प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी एवं इलेक्ट्रिक ऑडिट सुनिश्चित करने बाबत् ।

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं उनके परिसर में स्थित समस्त चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल ऑडिट आवश्यक रूप से कराये जाने के निर्देश माह जनवरी 2021 में प्रदाय किये गये थे । उक्त निर्देशों के अनुक्रम में समस्त स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध समस्त चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल ऑडिट भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 के खण्ड–1 भाग 4 (अग्नि तथा जीवन सुरक्षा) में वर्णित प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कराये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश पुनः प्रसारित किये जा रहे हैः–

1 चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध समस्त चिकित्सालयों भवनों में आगम एवं निर्गम के मार्गो का स्पष्ट रूप से चिन्हांकन तथा साइनेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

2 समस्त सम्बद्ध चिकित्सालयों के भवन की भौतिक अधोसंरचना अनुसार निर्माण संहिता अनुरूप Fire Extinguisher, First Aid Hose Reel, Wet Riser, Down Comer, Yard Hydrant, Automatic Sprinkler System, Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems, Automatic Detection and Alarm System, Under ground Static Water Storage Tank with Combined Capacity for Wet Riser, Yard hydrant and Sprinklers per set of pumps, Terrace Tank over Respective

Tower Terrace, Pump Near Underground Static Water storage Tank, Pump at Terrace Tank आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

3 अग्नि की दशा में सीढ़ियों का उपयोग करने हेतु तथा इस प्रकार के समस्त साइन हर फलोर पर लिफ्ट लैंडिंग तथा निर्गम सीढ़ी पर सहज दृष्टव्य स्थान पर होना सुनिश्चित किया जाये ।

4 प्रत्येक दो वर्ष में फायर एवं इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित किया जाये ।

5 मैन्युअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम तथा आटोमेटिक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम का प्रत्येक माह में परीक्षण सुनिश्चित किया जाये ।

6 अण्डर ग्राउण्ड वाटर टेंक एवं ओवर हैड टेंक वाटर राइजर, स्प्रिंकलर व यार्ड हायड्रेन्ट का प्रत्येक माह परीक्षण किये जाना चाहिये । मैन्युअल कॉल पाइंट (हूटर) समुचित स्थानों पर स्थित होना सुनिश्चित किया जाये ।

7 सम्पूर्ण परिसर में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने की दशा में प्रांगण परिसर के उपयोग में सुस्पष्ट साइन सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिये । स्टाफ के निर्गम हेतु SOP विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

8 अग्नि तथा अन्य अप्रिय स्थिति में आकस्मिक निर्गम स्थानो में किसी भी प्रकार का अवरोध न हो, यह सुनिशिचित किया जाये ।

9 C02 तथा ABC टाइप के अग्निशामक यंत्रों को योग्य परामर्श उपरान्त भवन की उचित साइट्स पर स्थापित किये जाना चाहिये । उपरोक्त यंत्रों को आकस्मिक स्थिति में उपयोग हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

10 चिकित्सा महाविद्यालय से संम्बद्ध चिकित्सालय द्वारा अपने संबंधित नगरीय निकाय/ नगर निगम से नियमानुसार सेफ्टी फायर एन0ओ0सी0 हमेशा प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये ।

11 प्रत्येक 6 माह में एक बार अग्नि तथा अप्रिय घटनाओं हेतु समस्त स्टाफ को योग्य परामर्श अनुसार स्थितियों की मॉकड्रिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

12 अन्य बिन्दु, जो कि भारत के राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 के खण्ड–1 भाग–4 (अग्नि तथा जीवन सुरक्षा संबंधित निर्देश) में वर्णित है, का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों के पालन में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें । इस कार्य हेतु यदि विभागीय बजट की आवश्यकता हो तो योग्य परामर्श उपरान्त बजट की मॉग विभाग से की जा सकती है, तथापि इस कार्य हेतु स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय स्वयं की स्वअर्जित स्वशासी निधि का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे ।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

09/11/2021

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक 1014/R-1436/21/55-2/2021 भोपाल,दिनॉक 09. 11.2021

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, मान् मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ।

2 आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

3 कलेक्टर, जिला भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, शहडोल, रतलाम, दतिया, खण्डवा, शिवपुरी, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश ।

4 आयुक्त, नगर निगम, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, शहडोल, रतलाम, दतिया, खण्डवा, शिवपुरी, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग